

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 नवम्बर 2012—कार्तिक 11, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

क्र. ई-5-825-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे, आयएस., (2006), कलेक्टर, जिला हरदा को दिनांक 24 से 29 सितम्बर 2012 तक, छः दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 30 सितम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे की अवकाश अवधि में श्री एन. पी. डेहरिया, भाप्रसे., अपर कलेक्टर, हरदा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला हरदा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे द्वारा कलेक्टर, जिला हरदा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एन. पी. डेहरिया, कलेक्टर, जिला हरदा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

3869

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

क्र. ई-5-810-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती पुष्पलता सिंह, आयएएस., संचालक, ग्रामीण रोजगार को दिनांक 8 से 12 अक्टूबर 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 7 एवं 13, 14 अक्टूबर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्रीमती पुष्पलता सिंह की अवकाश की अवधि में श्री रवीन्द्र पस्तौर, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, ग्रामीण रोजगार का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पुष्पलता सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, ग्रामीण रोजगार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती पुष्पलता सिंह द्वारा संचालक, ग्रामीण रोजगार का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रवीन्द्र पस्तौर, संचालक, ग्रामीण रोजगार के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती पुष्पलता सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पुष्पलता सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2012

क्र. ई-5-739-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हीरालाल त्रिवेदी, आयएएस, प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 सितम्बर 2012 द्वारा दिनांक 17 से 22 सितम्बर 2012 तक, छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें, दिनांक 17 से 24 सितम्बर 2012 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्यान्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 सितम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 सितम्बर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-856-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री छबि भारद्वाज, आयएएस., तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह को दिनांक 21 सितम्बर से 12 अक्टूबर 2012 तक, बाईस

दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 एवं 14 अक्टूबर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में सुश्री छबि भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री छबि भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-860-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री मधुरानी तेवतिया, आयएएस., अपर कलेक्टर, ग्वालियर को पूर्व में स्वीकृत दिनांक 1 मार्च से 30 जून 2012 तक (एक सौ बाईस दिन) के प्रसूति अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 1 जुलाई से 27 अगस्त 2012 तक अट्ठावन दिन का प्रसूति अवकाश एवं दिनांक 28 अगस्त से 31 अक्टूबर 2012 तक, पैंसठ दिन का शिशु देखभाल अवकाश (Child Cadre Leave) स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री मधुरानी तेवतिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री मधुरानी तेवतिया, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री मधुरानी तेवतिया, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2012

क्र. ई-1-377-2012-5-एक.—श्री एस.एन. मिश्रा, भाप्रसे (1990), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1996), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त मंडी तथा सचिव, मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान के कर्तव्यों के साथ-साथ सौंपा जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1996) द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम तथा पदेन

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. देवराज बिरदी, भाप्रसे (1982), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम तथा खनिज साधन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

क्र. ई-1-155-2012-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-24-2012-AIS-I,

दिनांक 9 अक्टूबर 2012 द्वारा भाप्रसे (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(2) के तहत श्रीमती मधुरानी तेवतिया, भाप्रसे (MP;08), अपर कलेक्टर, ग्वालियर को मध्यप्रदेश भाप्रसे. संवर्ग से AGMUT संवर्ग में स्थानांतरित किया गया है।

(2) राज्य शासन, एतद्वारा, श्रीमती मधुरानी तेवतिया, भाप्रसे (MP;08) को AGMUT संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2012

क्र. एफ-3-5-2012-एक-4.—राज्य शासन, एतद्वारा, इन्दौर जिले की जनपद पंचायत, इन्दौर की ग्राम पंचायत, कराडिया तथा जनपद पंचायत, महु की ग्राम पंचायत, कांकरिया एवं रामपुरिया खुर्द के आम निर्वाचन हेतु आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम (प्रति संलग्न) अनुसार मतदान दिनांक 1 अक्टूबर 2012 सोमवार को जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है।

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पंत, उपसचिव.

परिशिष्ट-एक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2012

क्र. एफ-37-14-2011-तीन-1557.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा 9(2)(क) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग, एतद्वारा इन्दौर जिले की जनपद पंचायत, इन्दौर की ग्राम पंचायत, कराडिया तथा जनपद पंचायत, महु की ग्राम पंचायत, कांकरिया एवं रामपुरिया खुर्द के आम निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :—

क्र. (1)	कार्यवाही (2)	नियम (3)	निर्धारित तारीख (4)	दिन और समय (5)
1. (i)	निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करना.	28	10-09-2012	प्रातः 10.30 बजे से (सोमवार)
(ii)	स्थानों सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29-क	-उपरोक्तानुसार-	-उपरोक्तानुसार-
(iii)	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23	-उपरोक्तानुसार-	-उपरोक्तानुसार-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की आखरी तारीख.	28(क)	17-09-2012	अपराह्न 3:00 बजे तक (सोमवार)
3.	नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच)	28(ख)	18-09-2012	प्रातः 10:30 बजे से (मंगलवार)
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख.	28(ग)	20-09-2012	अपराह्न 3:00 बजे तक (गुरुवार)
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38, 39	20-09-2012	अभ्यर्थिता वापसी के ठीक बाद (गुरुवार)
6.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28(घ)	01-10-2012	प्रातः 8:00 बजे से 3:00 बजे तक (सोमवार).
7.	मतगणना	-	01-10-2012	मतदान केन्द्रों पर मतदान के तुरन्त पश्चात् (सोमवार).
8.	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा (i) पंच, सरपंच के मामले में		03-10-2012	खण्ड मुख्यालय पर प्रातः 9:00 बजे से (मतों के सारणीकरण के तत्काल बाद) (बुधवार).

हस्ता./-

(ए. के. शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 06-05-2012-चौवन-1.—मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 08-05-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा जारी पिछड़ा वर्गों की जातियों की सूची में सरल क्रमांक 05 के कॉलम-02 में उल्लेखित बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई (चौरसिया) तथा कॉलम-03 में पान उत्पादक व विक्रेता, कॉलम-04 कैफियत में बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते हैं. अतः एतद्वारा क्रमांक-05 पर बरई को विलोपित एवं चौरसिया को कोष्टक से मुक्त करते हुये, राज्य शासन द्वारा दिनांक 8 मई 2008 तक किये गये संशोधनों में राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में निम्न विवरणानुसार संशोधन किया जाता है :-

पिछड़ा वर्ग की जारी सूची का क्रमांक	नाम जाति/उपजाति/ वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)
05	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, चौरसिया.	पान उत्पादक व विक्रेता.	बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 25-32-2012-दस-3.—मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-20-2010-दस-2, भोपाल, दिनांक 03 जनवरी, 2011 से सामान्य वन मंडल पश्चिम छिंदवाड़ा के 12958.41 हे. क्षेत्र के सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में शामिल किये जाने की अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 110-दस-1-6-1-83, भोपाल, दिनांक 06 जनवरी 1983 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा सामान्य वनमंडल पश्चिम छिंदवाड़ा की सीमा/प्रबंधन क्षेत्र का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :—

क्र.	वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम (मुख्यालय)	उप वनमंडल का नाम (मुख्यालय)	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	सम्मिलित परिक्षेत्रों का नाम (मुख्यालय)	उप वनमंडलों की सीमाओं का विवरण	वनमंडल की सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	पश्चिम छिंदवाड़ा सामान्य (छिंदवाड़ा).	परासिया सामान्य (छिंदवाड़ा).	853.143	दमुआ (दमुआ) जामई (जामई) परासिया (परासिया) सांवरी (छिंदवाड़ा).	उत्तर—सांगाखेड़ा एवं तामिया वन परिक्षेत्रों की सीमा. पूर्व—पूर्व छिंदवाड़ा सामान्य वनमंडल की सीमा. दक्षिण—दक्षिण छिंदवाड़ा सामान्य वनमंडल की सीमा. पश्चिम—बैतूल जिले की सीमा. उत्तर—होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर जिले की सीमा. पूर्व—पूर्व छिंदवाड़ा सामान्य वनमंडल की सीमा. दक्षिण—परासिया, जामई, दुमआ वन परिक्षेत्रों की सीमा. पश्चिम—होशंगाबाद जिले की सीमा एवं सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के बफर जोन की सीमा एवं बैतूल जिले की सीमा.	उत्तर—होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर जिले की सीमा. पूर्व—पूर्व छिंदवाड़ा सामान्य वनमंडल की सीमा. दक्षिण—दक्षिण छिंदवाड़ा सामान्य वनमंडल की सीमा. पश्चिम—बैतूल जिले की सीमा, सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के बफर जोन की सीमा एवं होशंगाबाद जिले की सीमा.
				तामिया सामान्य (तामिया).	776.724	झिरपा (झिरपा) देलाखारी (देलाखारी) सांगाखेड़ा (तामिया) तामिया (तामिया).		
				योग . .	1629.867			

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

क्र. एफ-25-32-2012-दस-3—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-32-2012-दस-3, दिनांक 25 अक्टूबर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, सचिव.

Bhopal, the 25th October 2012

No. F-25-32-2012-X-3.—Vide Government of Madhya Pradesh Forest Department Notification No. F. 15-20-2010-X-2, Bhopal, dated 03rd January 2011, 12958.41 hact. Forest area of West Chhindwara Territorial Forest

Division has been included in Satpuda Tiger Reserve as buffer zone. Due to above changes the boundary/management area of West Chhindwara Territorial Forest Division is reorganized by partially amending the Notification No. 110-X-1-6-183, Bhopal, dated 06th January, 1983 of Government of Madhya Pradesh Forest Department as under :—

S. No.	Name of Circle	Name of District	Name of Forest Division (Head quarter)	Name of Forest Sub-Division (Head quarter)	Area in (Sq. Km.)	Name of Ranges (head quarter)	Details of Forest Sub-Division Boundary	Details of Forest Division Boundary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Chhindwara.	Chhindwara.	West Chhindwara (T.) (Chhindwara)	Parasia (T) (Chhindwara)	853.143	Damua (Damua). Jamai (Jamai) Parasia (Parasia) Saori (Chhindwara).	North—Boundary of Sangakheda and Tamia Ranges. East—Boundary of East Chhindwara (T.) Forest Division. South—Boundary of South Chhindwara (T.) Forest Division. West—Boundary of Betul district.	North—Boundary of Hoshangabad and Narsingpur districts. East—Boundary of East Chhindwara (T.) Forest Division. South—Boundary of South Chhindwara (T.) Forest Division. West—Boundary of Betul district, boundary of buffer Zone of Satpura Tiger Reserve and boundary of Hoshangabad district.
				Parasia (T) (Tamia).	776.724	Jhirpa (Jhirpa) Delakhari (Delakhari) Sangakheda (Tamia) Tamia (Tamia).	North—Boundary of Narsinghpur and Hoshangabad districts. East—Boundary of East Chhindwara (T.) Forest division. South—Boundary of Parasia, Jamai and Damua Ranges. West—Boundary of Hoshangabad district, boundary of Buffer Zone of Satpura Tiger Reserve and boundary of Betul district.	
				Total . .	1629.867			

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PRASANT KUMAR, Secy.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्र. एफ-11-29-2004-उन्तीस-2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 सितम्बर 2010 की निरंतरता में मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कापॉरेशन मेमोरण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81(ए) (ई) (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री रमेश शर्मा (गुट्टू भैय्या), भोपाल को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कापॉरेशन के अध्यक्ष पद पर दिनांक 22 सितम्बर 2012 से दो वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है।

2. नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें आदि वर्तमान में लागू अनुसार ही होंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चंदेल, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2012

क्र. एफ-1(ए) 97-05-ब-दो.—श्री आर. एस. उईके, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, सतर्कता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 19 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2012 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 17, 18 नवम्बर 2012 एवं 2, 3 दिसम्बर 2012 के विज्ञापन अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री आर. एस. उईके, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, सतर्कता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्य श्री जी. पी. उईके, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. एस. उईके, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त उप

पुलिस महानिरीक्षक, सतर्कता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आर. एस. उईके, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, सतर्कता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आर. एस. उईके, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. एस. उईके, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

क्र. एफ-1(ए) 253-88-ब-2-दो.—श्री आर. के. गर्ग, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 5 से 9 नवम्बर 2012 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश 4 नवम्बर एवं 10 तथा 11 नवम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री आर. के. गर्ग, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्य श्री एस. के. झा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, एस.सी.आर.बी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गर्ग, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आर. के. गर्ग, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आर. के. गर्ग, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. गर्ग, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

क्र. एफ-1(ए) 48-2003-ब-2-दो.—श्री जे. एस. संसवाल, भापुसे, तत्कालीन उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर एवं वर्तमान उप पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद को दिनांक 1 से 18 मार्च 2012 तक, कुल अठारह दिवस के अर्जित अवकाश की, उपभोग पश्चात् स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री जे. एस. संसवाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एस. संसवाल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 53-2003-ब-2-दो.—श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज रीवा को दिनांक 26 नवम्बर 2012 से 14 दिसम्बर 2012 तक, कुल उन्नीस दिवस के अर्जित अवकाश की, दिनांक 25 नवम्बर 2012 एवं 15 तथा 16 दिसम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री भगवत सिंह चौहान, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रीवा द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव।

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. एफ-3-25-2012-बत्तीस-1.—चूँकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह समीचीन है कि ओरछा क्षेत्र को एक विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाये।

अतएव, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 64 की उपधारा (1), (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न सीमा क्षेत्र के लिए ओरछा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया जाता है। इस क्षेत्र में ओरछा नगर परिषद् क्षेत्र एवं ओरछा निवेश क्षेत्र समाहित है:—

ओरछा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमाएं

उत्तर में—ग्राम प्रतापपुरा, सीतापुर की उत्तरी सीमा.

पूर्व में—ग्राम सीतापुर, भोजपुरा, कुंवरपुरा, ढिमरपुरा, सावन्त नगर, ग्राम लोटना एवं सिंहपुरा की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में—ग्राम सिंहपुरा, फुटेरा, गुदरई एवं ग्राम चन्द्रवन की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में—ग्राम सिंहपुरा, चन्द्रवन, जमुनिया खास, ओरछा, सावंत नगर, रूद मकोरा, कुंवरपुरा, बवेड़ी जंगल एवं ग्राम प्रतापपुरा की पश्चिमी सीमा तक.

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए ओरछा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी का गठन किया जाता है जो निम्नानुसार है:—

प्राधिकरण में निम्नानुसार प्राधिकारी होंगे

1. धारा 65(1)(क)—अध्यक्ष —कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़
2. धारा 65(1)(ख)—उपाध्यक्ष—मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला टीकमगढ़.
3. धारा 65(1)(ग)—सदस्य—कोई नहीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

फा. क्र. 17(ई) 83-03-3056-इक्कीस-ब(एक)-011-2881, 3021-12.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 38, 44, 54, 71, 73 एवं 94 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	सिविल जिले का नाम (2)	विशेष न्यायालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)
“38.	ग्वालियर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर	श्री पवन कुमार शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (विशेष न्यायालय क्रमांक 3), ग्वालियर.
44.	होशंगाबाद	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिपरिया	श्री काशीनाथ सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिपरिया.

(1)	(2)	(3)	(4)
54	कटनी	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कटनी	श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कटनी.
71	रायसेन	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बेगमगंज	श्री कमल जोशी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बेगमगंज.
73	राजगढ़	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यावरा	डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यावरा.
94	शाजापुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शुजालपुर	श्रीमती माया विश्वलाल, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शुजालपुर.

F. No. 17(E)83-03-XXI-B-(One)-3056-11-2881, 3021-12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B-(One), dated 16th September 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I dated 24th September, 2010 namely :—

AMENDMENTS

In the said notification, in the table, for serial number 38, 44, 54, 71, 73 & 94 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S.No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
“38.	Gwalior	Additional Sessions Judge, Gwalior.	Shri Pawan Kumar Sharma, Additional Sessions Judge, (Special Court No. 3), Gwalior.
44.	Hoshangabad	Additional Sessions Judge, Piparia.	Shri Kashinath Singh, Additional Sessions Judge, Piparia.
54	Katni	III rd Additional Sessions Judge, Katni.	Shri Umesh Kumar Shrivastava, III rd Additional Sessions Judge, Katni.
71	Raisen	Additional Sessions Judge, Begumaganj.	Shri Kaml Joshi, Additional Sessions Judge, Begumaganj.
73	Rajgarh	I st Additional Sessions Judge, Bioara.	Dr. Ramesh Sahu, I st Additional Sessions Judge, Bioara.
94	Shajapur	II nd Additional Sessions Judge, Shujalpur.	Smt. Maya Vishwalal, II nd Additional Sessions Judge, Shujalpur.”.

फा. क्र. 17(ई) 83-03-3056-इक्कीस-ब(एक)-011-3021-12.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(1), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश “राजपत्र”, भाग-1 में, दिनांक

24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 44, 54, 71, 73 एवं 94 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	सिविल जिले का नाम (2)	विशेष न्यायालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (4)
“44.	होशंगाबाद	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिपरिया	पिपरिया का विद्युत् क्षेत्र
54.	कटनी	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कटनी	सिविल जिला कटनी का समस्त विद्युत् क्षेत्र
71.	रायसेन	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बेगमगंज	बेगमगंज का विद्युत् क्षेत्र
73.	राजगढ़	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यावरा	ब्यावरा का विद्युत् क्षेत्र
94.	शाजापुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शुजालपुर	शुजालपुर का विद्युत् क्षेत्र.”

टिप्पणी—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

F. No. 17(E) 83-03-3056-XXI-B-(One) 011-3021-12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B-(1), dated 16th September 2010, which was published in Madhya Pradesh Gazette, part-I, dated 24th of September, 2010 namely :—

AMENDMENTS

In the said notification, in the Table, for serial number 44, 54, 71, 73 & 94 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S.No. (1)	Name of the Civil District (2)	Name of Special Court (3)	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area) (4)
“44.	Hoshangabad	Additional Sessions Judge, Pipariya.	Electricity Areas of Pipariya.
54	Katni	III rd Additional Sessions Judge, Katni.	All Electricity Area of Civil District, Katni.
71	Raisen	Additional Sessions Judge, Begumganj	Electricity Area of Begumganj
73	Rajgarh	First Additional Sessions Judge, Bioara.	Electricity Area of Bioara
94	Shajapur	II rd Additional Sessions Judge, Shujalpur.	Electricity Area of Shujalpur.”

Note.—The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly constituted Court according to their territorial jurisdiction.

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2012

फा. क्र. 3(बी)-6-2011-इक्कीस-ब (एक).—(अनुपूरक सूची क्र. 01).—राज्य शासन, श्री वरूण चौहान पुत्र श्री जगत प्रताप सिंह चौहान को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला सीधी म. प्र. है। उसकी जन्मतिथि 16 मार्च, 1983 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

फा. क्र. 1(सी)08-2012-एट्रोसिट-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री निदेश शर्मा, अधिवक्ता, जिला नीमच द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र दिनांक 25 सितम्बर 2012 के आलोक में उनका विशेष लोक अभियोजक, नीमच के पद से त्याग-पत्र आदेश जारी होने के दिनांक से स्वीकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव।

विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
“निर्वाचन भवन”
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश
आदेश

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 02-02-2010-एक-1517.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा श्री प्रदीप तिवारी, अनुभाग अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अवर सचिव के पद पर वेतन बैंड+ग्रेड पे 15,600—39,100+6,600 में पदोन्नत किया जाता है।

2. आयोग में अवर सचिव का पद एकांकी पद है। अतः मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2002-3-एक, दिनांक 6 जुलाई 2002 के अनुसार इस पद पर आरक्षण एवं आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा।

3. आयोग की सेवा में निगम/मंडल के संविलियत कर्मचारियों की सेवा शर्तें शासन के विचाराधीन हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वरिष्ठता आदि से संबंधित याचिका भी विचाराधीन हैं। अतः उपर्युक्त पदोन्नति राज्य शासन तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी।

4. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

5. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनु. जाति. अनु. जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है।

(मान. राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अनुमोदित).

हस्ता./-
(ए. के. शर्मा)
प्रभारी सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

क्र. 686-राजस्व-4-आर.एम.-12

सतना, दिनांक 22 सितम्बर 2012

करारनामा

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल, जरिये कलेक्टर, सतना

प्रथम पक्ष

प्रोजेक्ट हेड, रिलायन्स सीमेन्ट कंपनी प्रा. लि., मैहर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

द्वितीय पक्ष

अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (प्रथम पक्ष) के ज्ञाप क्रमांक एफ-12-15-2012-सात-2ए, दिनांक 14 सितम्बर 2012 से द्वितीय पक्ष के द्वारा स्थापित हो रहे रिलायन्स सीमेन्ट कंपनी प्रा. लि., मैहर, जिला सतना के मिंगा सीमेन्ट प्लांट के लिए चूना पत्थर के परिवहन हेतु ओ.एल.बी.सी. लगाये जाने के लिए ग्राम इटहरा, सन्नई एवं सढेरा, तहसील मैहर की भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत 1.992 हेक्टेयर निजी भूमि के भू-अर्जन की सशर्त स्वीकृति देते हुए उक्त अधिनियम की धारा 41 के प्रावधानों के अनुरूप यह करारनामा निष्पादित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन ने भू-अर्जन अधिनियम की धारा 40 के अधीन की गई जांच से संतुष्ट होकर कि प्रस्तावित अर्जन मिंगा सीमेन्ट प्लांट की स्थापना के लिए आवश्यक है और उक्त कार्य आम जनता के लिए उपयोगी सिद्ध होने की संभावना मानते हुए रिलायन्स सीमेन्ट कंपनी प्रा. लि., मैहर की ओर से निजी भूमि अर्जित करने की अनुज्ञा दी है।

यह करारनामा निम्नलिखित मुद्दों का साक्षी है:—

1. यह कि द्वितीय पक्ष, रिलायन्स सीमेन्ट कंपनी प्रा. लि., मैहर, जिला सतना का प्रोजेक्ट हेड हूं.
2. यह कि रिलायन्स सीमेन्ट कंपनी प्रा. लि., मैहर, कंपनी ने सीमेन्ट प्लांट की स्थापना के लिए ग्राम भरौली, इटहरा, बेरमा, खेरवाकलों, भैसासुर की कुल 353.00 एकड़ भूमि क्रय कर ली है, जिस पर कंपनी द्वारा सीमेन्ट प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा उक्त प्लांट हेतु 15.123 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी है. सीमेन्ट प्लांट हेतु चूना पत्थर के परिवहन के लिए आवश्यक ओ.एल.बी.सी. लगाये जाने के लिए ग्राम इटहरा की 0.983 हे., ग्राम सन्नई की 0.409 हे. तथा ग्राम सढेरा की 0.600 हे. कुल रकबा 1.992 हे. निजी भूमि के अर्जन का प्रस्ताव किया गया है.
3. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी, जिसके अधीन कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत् की जायेगी. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिए अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेंगे.
4. कंपनी द्वारा (इस आशय की करारनामों या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के पुनर्वासित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
5. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के आदेश का पालन किया जायेगा.
6. संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जावेगा.
7. संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास

की कार्यवाही की जायेगी.

8. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
9. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
10. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
11. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
12. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत).
13. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
14. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
15. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
18. भूमि व उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
19. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गयी अन्य आवश्यक शर्तें स्वीकार होंगी.

हस्ता./-

प्रोजेक्ट हेड

रिलायन्स सीमेन्ट कंपनी प्रा. लि.,
मैहर, जिला-सतना, (मध्यप्रदेश).

हस्ता./-

(के. के. खरे)

कलेक्टर,
जिला-सतना, (मध्यप्रदेश)

साक्षी क्रमांक 1.

हस्ता./-

(अनिल कुमार तिवारी)

असिस्टेंट वाईस प्रेसीडेंट

रिलायन्स सीमेन्ट कंपनी प्रा. लि., मैहर.

साक्षी क्रमांक—1.

हस्ता./-

(विनय कुमार जैन)

डिप्टी कलेक्टर कृते कलेक्टर, सतना.

साक्षी क्रमांक 2.

हस्ता./-

(ए. पी. सिंह)

सीनियर मैनेजर

रिलायन्स सीमेन्ट कंपनी प्रा. लि., मैहर

साक्षी क्रमांक —2.

हस्ता./-

(आर.बी. शर्मा)

सहा. वर्ग-3

कलेक्टर, सतना, (मध्यप्रदेश).

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंदसौर, दिनांक 10 अक्टूबर 2012

ईशू क्र. 4-रीडर-2012-प्र. क्र. 2-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
	तहसील	ग्राम		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मंदसौर	सीतामऊ	कम्माखेडी	3.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मंदसौर.	कोटेश्वर तालाब योजनांतर्गत स्पिल एवं एप्रोच से प्राप्त मिट्टी की डपिंग हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 11 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 01-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
	तहसील	नगर/ग्राम		(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	इछावर	हुलियाखेडी	1.633	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सीहोर.	रामदासी जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अ.वि.अ./भू-अर्जन अधिकारी इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अधिकारी कार्यालय इछावर में प्रस्तुत करें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 12 अक्टूबर 2012

क्र. भूमि संपादन-2012-8395.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 (2)के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	कस्बा उज्जैन.	रकबा 5.550 हेक्टर में से 678.19 वर्ग-मीटर में पक्का निर्माण एवं 1551.48 वर्गमीटर पर भूमि रिक्त.	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन	सिंहस्थ-2016 कार्य योजना अंतर्गत बम्बई वाले की धर्मशाला की भूमि अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.

क्र. भूमि संपादन-2012-8397.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 (2)के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	कस्बा उज्जैन.	रकबा 2.749 में से (1) 85.47 वर्गमीटर पक्का निर्माण गार्डर फर्शी. (2) 40 फीट लंबी एवं 5 फीट ऊंची दीवार. (3) 3.34 वर्गमीटर स्थित मंदिर. (4) 22.30 वर्गमीटर गार्डर फर्शी का पक्का निर्माण. (5) 595 वर्गमीटर रिक्त भूमि रकबा 2.749 में से	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन	प्रेमछाया परिसर एवं मस्तराम अखाड़ा की भूमि सार्वजनिक मार्ग हेतु अधिग्रहण.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			(1) 58.06 वर्गमीटर दो मंजिला कच्चा पुराना मकान जिसमें दुकानें स्थित हैं.		
			(2) 38.83 वर्गमीटर एक मंजिला कच्चा पुराना भवन जिसमें दुकानें स्थित हैं.		
			(3) 6 वर्गमीटर में मंदिर स्थित है.		
			(4) 332 वर्गमीटर रिक्त भूमि स्थित है.		
			(5) 49 वर्गमीटर टीनशेड बना है.		
			रकबा 0.240 हेक्टर में से 89 वर्ग-मीटर रिक्त भूमि स्थित है.		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 12 अक्टूबर 2012.

भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-01-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खंडवा	खंडवा	सहेजला	0.56	कार्यपालन अभियंता (सिविल)-दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म. प्र. पा. ज. कं. लि., खण्डवा.
				श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना 2×600 मे. वा. म. प्र. पा. ज.कं. लि. खंडवा के लिये सुरगांवबंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)-दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म. प्र. पा. ज. कं. लि., ग्राम दोंगलिया, पोस्ट सिंधखाल, जिला खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-02-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित

अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खंडवा	पुनासा	गोराड़िया	0.01	कार्यपालन अभियंता (सिविल)-दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म. प्र. पा. ज. कं. लि. खण्डवा.	श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना 2×600 मे. वा. म. प्र. पा. ज. कं. लि. खंडवा के लिये सुरगांवबंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)-दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म. प्र. पा. ज. कं. लि., ग्राम दोंगलिया, पोस्ट सिंधखाल, जिला खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
हरदा, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. 10302-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	टिमरनी	चिचोट	0.481 हे. (निजी भूमि) 0.081 हे. (शास. भूमि तवा नहर सिंचाई विभाग के नाम दर्ज) योग रकबा 0.562 कुल रकबा	भू-अर्जन अधिकारी, टिमरनी.	छोटी छीपानेर से बड़ी छीपानेर के मध्य नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा व प्लान आदि भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 10304-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन,

इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	टिमरनी	पचोरा	0.303	भू-अर्जन अधिकारी, टिमरनी.	छोटी छीपानेर से बड़ी छीपानेर के मध्य नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा व प्लान आदि भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, टिमरनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. 7924-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-राहीवाड़ा ब.नं. 251 प.ह.नं. 36, रा.नि.मं. अमरवाड़ा-2.	रकबा 63.833 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-अमरवाड़ा जिला- छिन्दवाड़ा (म. प्र.)	मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वाँसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेबर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील अमरवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में भी किया जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड स्थानीय कार्यालय विवेकानंद कॉलोनी, नागपुर रोड, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 7925-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-धाधरा ब.नं. 140 प.ह.नं. 36, रा.नि.मं. अमरवाड़ा-2.	रकबा 72.229 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-अमरवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.)	मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वाँसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेबर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।		
(3)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील अमरवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में भी किया जा सकता है।		
(4)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड स्थानीय कार्यालय विवेकानंद कॉलोनी, नागपुर रोड, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।		
(5)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है।		

क्र. 7926-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग

करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम	अर्जित की जाने वाली		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-मन्दागढ़ ब.नं. 223 प.ह.नं. 38, रा.नि.मं. अमरवाड़ा-2.	रकबा 110.849 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-अमरवाड़ा जिला-छिंदवाड़ा (म. प्र.).	मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेबर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.		
(3)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील अमरवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में भी किया जा सकता है.		
(4)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड स्थानीय कार्यालय विवेकानंद कॉलोनी, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.		
(5)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.		

क्र. 7927-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, एवं आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम	अर्जित की जाने वाली		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-लछुआ ब.नं. 254 प.ह.नं. 36, रा.नि.मं. अमरवाड़ा-2.	रकबा 82.837 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-अमरवाड़ा जिला-छिंदवाड़ा (म. प्र.).	मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेबर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड स्थानीय कार्यालय विवेकानंद कॉलोनी, नागपुर रोड, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. दस-भू-अर्जन-फा-567-प्र. क्र. 1-अ-82-2012-13-5043.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	पुरनिहा	65.716	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	मुडना जलाशय योजना के शीर्ष
		झगरहा	0.897	संभाग क्र. 2, शहडोल, म. प्र.	कार्य निर्माण से प्रभावित निजी
		दूधी	1.791		भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश में किया जा सकता है।

क्र. दस-भू-अर्जन-फा-571-प्र. क्र. 2-अ-82-2012-13-5040.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	विचारपुर	3.676	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	मुडना जलाशय योजना में
		मझौली	0.603	संभाग क्र. 2, शहडोल, म. प्र.	प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
		वासिन	3.168		
		पचगांव	4.075		

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश में किया जा सकता है।

क्र. दस-भू-अर्जन-फा 570-प्र. क्र. 3-अ-82-2012-13-5042.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	मलया	101.184	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल म. प्र.	मेहरो जलाशय योजना से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
		घोघरी	66.472		
		कचहर	9.613		
		हरहाटोला	2.158		
		रसमोहनी	2.569		
		टिकुरी	1.724		

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जैतपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.

शहडोल, दिनांक 17 अक्टूबर 2012

क्र. दस-भू-अर्जन-फा 572-प्र. क्र. 4-अ-82-2012-13-5067.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	शाहपुर	23.652	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल म. प्र.	शाहपुर जलाशय योजना से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
		कंठीटोला	10.663		
		करावन	12.337		

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जैतपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैठन, दिनांक 17 अक्टूबर 2012

क्र. 980-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन (सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये ऐश डाइक निर्माण) हेतु आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक,

सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सिंगरौली	हरहवा (पटवारी हल्का हरहवा)	1.61	मुख्य कार्यपालन अधिकारी सासन पावर लिमिटेड, जिला सिंगरौली.	सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये ऐश डाइक का निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

बैठन, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

क्र. 988-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन (एन.टी.पी.सी. पावर परियोजना के लिये ऐश डाइक निर्माण बलियरी) हेतु आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सिंगरौली	बलियरी (पटवारी हल्का बलियरी)	2.805	अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन). एन.टी.पी.सी. विन्ध्याचल जिला सिंगरौली.	एन.टी.पी.सी. पावर परियोजना के लिये ऐश डाइक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 17 अक्टूबर 2012

क्र. क-8728-प्र. भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) उल्लेखित

अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल खसरा नं.	कुल रकवा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	बिलहरी	25	4.61	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म. प्र.).	केसली विकासखण्ड के अंतर्गत बिलहरी जलाशय योजना की दांयी मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. प्र. भू-अर्जन-8729-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा (1) उपधारा में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख. नं.	कुल रकवा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	डमरावीर	1	0.28	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म. प्र.).	सतधारा जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—सतधारा जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-8730-प्र. भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख. नं.	कुल रकवा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	पटना नाहरमऊ	35	4.67	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म. प्र.).	केसली विकासखंड के अंतर्गत बिलहरी जलाशय योजना की दांयी मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-8730-प्र. भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	कुल ख. नं.	(7)	
सागर	केसली	मेडकी	15	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म. प्र.).	केसली विकासखंड के अंतर्गत बिलहरी जलाशय योजना की दायी मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दतिया, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

क्र. 01-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	
दतिया	दतिया	मड़गवां	3.48	कार्यपालन यंत्री राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र.-9 दतिया (म. प्र.).	बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कासना नाला तालाब लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. कबीरपंथी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अलीराजपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

क्र. भू-अर्जन-2012-1261.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	जोबट	बरखेडा	17.48	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलिराजपुर.	सार्वजनिक प्रयोजन हेतु बरखेडा सिंचाई तालाब निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

क्र. 3774-भू-अर्जन-2012-रा.प्र. क्र.-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	करड़ावद	0.10	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की अजब बोराली माईनर नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	<u>0.10</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री क्रियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 29 सितम्बर 2012

क्र.1689-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 29-अ-82-2011-12.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी
(ग) ग्राम—धनोरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —209.00 वर्गमीटर

खसरा नम्बर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
(1)	(2)
8/1	209.00
	योग . . . 209.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— सरदार सरोवर परियोजना से डूब प्रभावित होने से.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. न.घा.वि.स.प.पुनर्वास संभाग बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 9 अक्टूबर 2012

प. क्र. 3951-भू-अर्जन-तेंदूखेड़ा-2012.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के

पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—जबेरा
(ग) नगर/ग्राम—चौपरा चण्डी, पौड़ी महाराज सींग, जमुनिया.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.43 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)

ग्राम—पौड़ी महाराज सींग

707 में से	0.05
708 में से	0.07
706 में से	0.25
709 में से	0.03
705 में से	0.03
704 में से	0.08
703 में से	0.10
701 में से	0.10
700 में से	0.04
692 में से	0.18
670 में से	0.04
669/1 में से	0.06
669/2 में से	0.04
669/3 में से	0.04
662 में से	0.07
661 में से	0.04
660 में से	0.06
650 में से	0.02
649 में से	0.10
654 में से	0.13
612 में से	0.04
611 में से	0.05
613 में से	0.04

(1)	(2)	(1)	(2)
603 में से	0.02	ग्राम—चौपरा चण्डी	
609 में से	0.04	948 में से	0.10
608 में से	0.02	951 में से	0.10
571 में से	0.05	961 में से	0.10
610 में से	0.02	830 में से	0.02
590 में से	0.10	829 में से	0.01
588 में से	0.04	820 में से	0.08
589 में से	0.01	828 में से	0.12
573 में से	0.02	824 में से	0.03
574 में से	0.06	825 में से	0.01
575 में से	0.03	581 में से	0.02
260 में से	0.02	582 में से	0.03
271 में से	0.05	585 में से	0.02
270 में से	0.03	586 में से	0.03
261 में से	0.02	587 में से	0.02
258 में से	0.05	595 में से	0.04
255 में से	0.05	87 में से	0.04
244 में से	0.04	224 में से	0.02
246 में से	0.04	215 में से	0.01
245 में से	0.02	225 में से	0.01
118 में से	0.05	228 में से	0.02
126/1 में से	0.02	229 में से	0.05
126/2 में से	0.03	239 में से	0.03
121 में से	0.05	236 में से	0.02
224 में से	0.03	237 में से	0.03
223 में से	0.05	235 में से	0.02
22 में से	0.01	244/1 में से	0.01
154 में से	0.10	243 में से	0.04
149 में से	0.03	252 में से	0.02
150 में से	0.02	253 में से	0.02
153 में से	0.03	245 में से	0.02
151 में से	0.05	267/1 में से	0.03
137 में से	0.03	267/2 में से	0.03
104 में से	0.16	267/3 में से	0.03
68 में से	0.01	268/1 में से	0.02
69 में से	0.02	268/2 में से	0.02
67 में से	0.11	269/1 में से	0.02
66 में से	0.04	269/2 में से	0.02
65 में से	0.02	269/3 में से	0.02
744 में से	0.29	276 में से	0.06
योग	3.53	277 में से	0.02

(1)	(2)
278 में से	0.02
279 में से	0.02
382 में से	0.04
383 में से	0.04
294 में से	0.06
391 में से	0.02
392 में से	0.05
369 में से	0.07
366 में से	0.06
365 में से	0.02
364 में से	0.08
338 में से	0.15
336/1 में से	0.09
336/2 में से	0.03
336/3 में से	0.03
336/4 में से	0.03
329 में से	0.02
335 में से	0.06
330/1 में से	0.15
330/2 में से	0.04
योग . . .	2.44

ग्राम—जमुनिया

598/2 में से	0.02
595 में से	0.10
576 में से	0.04
556 में से	0.04
580 में से	0.09
582/2 में से	0.05
521/1 में से	0.02
521/2 में से	0.02
522 में से	0.02
446 में से	0.03
445 में से	0.03
योग . . .	0.46

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—करारिया जलाशय योजना के बांध एवं नहर हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तेंदूखेड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 12 अक्टूबर 2012

प. क्र. 3089-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) नगर/ग्राम—बिड़वा
(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.012 हेक्टर.

पूर्व प्रकाशित खसरा	पूर्व प्रकाशित रकबा हे.	संशोधित खसरा	रकबा हे.
(1)	(2)	(3)	(4)
138	0.012	148	0.012
योग . . .	0.012		0.012

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मैदानी माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम करहिया, तहसील हुजूर, जिला रीवा में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 3091-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) नगर/ग्राम—अमरैया
(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.024 हेक्टर.

पूर्व प्रकाशित खसरा	पूर्व प्रकाशित रकबा हे.	संशोधित खसरा	रकबा हे.
(1)	(2)	(3)	(4)
91	0.024	90/1/च	0.024
योग . .	0.024		0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मैदानी माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम अमरैया, तहसील हुजूर, जिला रीवा में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 3087-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) नगर/ग्राम—करहिया

(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.128 हेक्टर.

पूर्व प्रकाशित खसरा	पूर्व प्रकाशित रकबा हे.	संशोधित खसरा	रकबा हे.
(1)	(2)	(3)	(4)
577	0.068	576	0.068
583	0.060	585	0.060
योग . .	0.128		0.128

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मैदानी माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम करहिया, तहसील हुजूर, जिला रीवा में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 560-प्र. क्र. 3-अ-82-2011-12-5041.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—सोहागपुर
(ग) नगर/ग्राम—लफदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—50.020 हेक्टेयर

खसरा नं	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
42/1	0.008

(1)	(2)	(1)	(2)
45	0.142	596	0.030
47	0.125	725	1.356
123/1	0.121	729	1.226
52	0.081	668/1	0.089
75	0.221	665	0.166
94	0.194	675	0.093
688/1	0.032	681/2	0.320
66	0.211	686/3	0.016
59	0.065	694	0.320
63	0.117	685/1	1.113
113	0.049	42/2	0.085
123/2	0.219	50	0.142
73	0.182	111/1	0.162
687	0.036	672	0.202
116	0.210	54	0.101
587	0.121	57	0.445
711	1.048	685/2	0.401
595	0.142	64	0.182
724	0.344	69	0.138
728	0.699	61	0.105
663/1	0.129	111/2	0.231
664	0.142	117	0.320
674	0.227	71	0.174
676	0.069	683	0.615
685/3	0.348	109	0.146
693	0.089	660	0.182
703	0.186	593	0.101
41	0.081	720	0.437
49	0.182	599	0.164
48	0.085	726	0.316
671	0.130	730	1.412
53	0.129	668/2	0.040
76	0.089	666	0.178
684/1	0.235	670	0.186
58	0.069	682/2	0.101
68	0.142	688/2	0.049
60	0.105	695	0.065
67	0.101	690	0.097
115	0.158	44	0.166
669	0.045	46	0.081
680	0.384	114	0.105
108	0.162	51	0.081
127	0.190	56	0.146
588	0.079	74	0.117
719	0.809	686/2	0.182

(1)	(2)	(1)	(2)
65	0.219	836/3	0.105
70	0.247	841	0.030
62	0.108	696	0.117
112	0.085	704	0.297
118	0.091	713	0.210
72	0.154	718	0.384
678	0.190	706	0.640
110	0.174	710/2क	0.198
126	0.182	721	2.399
594	0.020	796	0.178
795	0.506	835	0.336
600	0.320	837	0.194
727	3.104	893/1	1.089
602	0.073	700	0.534
663/2	0.089	705	0.105
667	0.073	714	0.543
673/2	0.202	698	0.417
684/2	0.474	709/1	1.011
689	0.379	710/2घ	0.308
697	0.321	722	0.263
691	0.016	797/1	0.041
692/1	0.036	836/1	0.057
701	0.158	838	0.356
715	0.514	योग . .	<u>50.020</u>
716	0.271	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—देवगढ़	
699	0.709	जलाशय योजना हेतु प्रभावित ग्राम लफदा की निजी	
709/2	1.372	भूमि 50.020 हे. का अर्जन.	
710/2ख	0.405	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर,	
723	2.399	शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर,	
798	0.312	जिला शहडोल में किया जा सकता है.	
836/2	0.061	क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 560-प्र. क्र. 3-अ-82-2011-12-	
840	0.121	5041.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है	
692/2	0.053	कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की,	
702	0.490	अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के	
712	0.454	लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक	
717	0.243	एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित	
710/2ग	0.101	किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये	
710/1	2.549	आवश्यकता है:—	
710/3	0.198	अनुसूची	
851	1.335	(1) भूमि का वर्णन—	
799	0.284	(क) जिला—शहडोल	
		(ख) तहसील—सोहागपुर	

(ग) नगर/ग्राम—गुरा	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.914 हेक्टेयर	144	0.011
खसरा नं	रकबा	
	(हे. में)	
(1)	(2)	
121	0.011	860
135	0.013	946
148/1	0.016	1010
479/1क	0.013	1043
914	0.016	1151/1
1006/1	0.027	1172
1024	0.032	1182/1
1147	0.016	योग . . .
1154/1	0.011	0.914
1183	0.011	
1186/1	0.040	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—देवगढ़ जलाशय योजना हेतु प्रभावित ग्राम गुरा की निजी भूमि 0.914 हे. का अर्जन.
134	0.053	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.
916	0.005	
148/2	0.016	
858/1	0.027	क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 560-प्र.क्र. 3-अ-82-2011-12-5041.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—
940	0.027	
1007	0.016	
1025	0.005	
1149	0.011	
1167/1	0.011	
1180	0.013	
1191	0.028	
132/2	0.005	
143	0.011	
467	0.005	
858/2	0.016	
944	0.011	
1045	0.013	
1032/1	0.040	
1044	0.027	
1171	0.037	
1184	0.027	
1193	0.055	
468	0.005	
		अनुसूची
		(1) भूमि का वर्णन—
		(क) जिला—शहडोल
		(ख) तहसील—सोहागपुर
		(ग) नगर/ग्राम—देवगढ़
		(घ) क्षेत्रफल —26.597 हेक्टर.
		खसरा नम्बर
		रकबा
		(हे. में)
		(1)
		(2)
		606
		1031/1
		666
		1356
		1365
		0.020
		0.024
		0.032
		0.041
		0.041

(1)	(2)	(1)	(2)
720/2	0.007	940	0.041
1318/1	0.101	946/2	0.040
1045/3	0.104	1353/1	0.054
910	0.016	955/2	0.004
911/1	0.007	1021/1	0.021
1264/1	0.026	1326/2	0.230
915/1	0.008	1022/1	0.040
933/2	0.014	1031/2	0.024
937/1	0.041	1041	0.189
939	0.028	1085	0.008
946/1	0.041	1053	0.829
1349/1	0.054	1058	0.020
954/2	0.014	1165/1	0.031
1101	0.081	1069	0.049
1021/2	0.020	1054/2	0.117
1326/3	0.231	611	0.160
1030	0.012	662/1क	0.016
1037	0.089	1344/2	0.405
1084	0.061	1363	0.121
1044	0.219	720/1	0.007
1057	0.567	726	0.020
1045/2	0.104	744/1	0.032
1062	0.295	1166/1	0.026
1054/1	0.117	1042/1	0.126
610	0.016	1039/2	0.090
612/2	0.160	958	0.028
1343/2	0.300	933/1	0.014
1362	0.020	1357/2	0.133
710/2	0.016	1358/2	0.045
725/2	0.008	942	0.061
743	0.007	946/3	0.040
1165/2	0.030	954/1	0.014
911/2	0.007	1366/3	0.065
1039/1	0.091	1034/1क	0.108
912/1	0.032	1021/3	0.020
915/2	0.008	1326/4	0.231
938/1	0.021	1033	0.196
938/2	0.020	1038	0.016

(1)	(2)	(1)	(2)
1262	0.069	1065/2	0.160
1089	0.049	1339/1	0.176
1086	0.081	1327/1ख	0.103
1052	0.458	1330/2	0.160
1334	0.089	1065/5	0.085
1314/1	0.125	1108	0.041
612/1	0.016	1192	0.051
667/1	0.006	1197/1	0.017
1355	0.020	1320/2	0.194
1364	0.243	1275/1क	0.081
725/1	0.008	1318/2ख	0.202
1051	0.238	1313	0.267
903	0.028	1318/3	0.405
904/2	0.178	1320/1	0.194
1264/2	0.025	1322/2	0.303
1042/2	0.251	1325/1	0.205
914/1	0.016	1329/1क	0.054
1357/1	0.134	1332	0.178
1358/1	0.044	1347/2ख	0.085
1359/2	0.134	1347/2घ	0.086
943	0.121	1343/1	0.307
952/1	0.020	1349/3	0.044
955/1	0.004	1353/5	0.015
1018	0.018	1371	0.089
1326/1	0.230	1054/3	0.113
1034/1ख	0.109	1054/4	0.113
1022/2	0.041	1061/1	0.129
1263	0.025	1328/1	0.130
1040	0.089	1425/1	0.164
1043	0.462	1368/2	0.023
1045/1	0.103	1337/2	0.051
1166/2	0.025	1325/3	0.205
1060	0.166	1186	0.086
1335	0.264	1340	0.136
1315/1	0.085	1197/2	0.018
1316/1क	0.303	1212/1	0.052
1316/1ख	0.304	1318/2क	0.203
1087	0.041	1321/1ख	0.105

(1)	(2)	(1)	(2)
1316/2	0.142	1359/1	0.135
1318/4	0.198	1372	0.020
1322/1	0.073	1315/2	0.085
1323/2	0.448	1056	0.473
1327/1क	0.203	1065/1	0.160
1329/1ख	0.054	1337/1	0.050
1331/2क	0.033	1325/2	0.205
1331/2ग	0.033	1328/2	0.129
1331/2ङ	0.033	1425/2	0.160
1347/1	0.405	1100	0.089
1353/6	0.040	1323/1	0.405
1366/1	0.032	1342	0.040
1370/2	0.061	1198/2	0.013
1314/2	0.125	1251/1	0.020
1055	0.745	1275/1ख	0.080
1061/2	0.130	1312	0.129
1330/1	0.160	1317/1	0.101
1065/3	0.084	1318/6क	0.405
1065/4	0.159	1368/1	0.023
1339/2	0.176	1324	0.113
1327/1ग	0.203	1333	0.247
1187	0.015	1331/1	0.034
1341	1.457	1331/2ख	0.033
1198/1	0.013	1331/2घ	0.033
1319	0.105	1336/2	0.202
1321/1क	0.101	1349/2	0.054
1308	0.061	1349/4	0.103
1317/2	0.203	1370/1	0.060
1318/5	0.214		
1367	0.081		
1369/1	0.007		योग . . . 26.597
1327/2	0.510		
1329/2	0.053	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—देवगढ़ जलाशय योजना हेतु प्रभावित ग्राम देवगढ़ की निजी भूमि 26.597 हे. का अर्जन.
1347/2क	0.086	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.
1347/2ग	0.086		
1347/2ङ	0.086		
1348	0.113		
1366/2	0.032		

शहडोल, दिनांक 17 अक्टूबर 2012		(1)	(2)
क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 559-प्र.क्र.2-अ-82-2011-12-5068.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		441/3	0.349
		465	0.170
		506	0.109
		457/2	0.035
		478/1क	0.011
		98	0.014
		106	0.075
अनुसूची		99	0.152
(1) भूमि का वर्णन—		173	0.178
(क) जिला—शहडोल		104/3	0.096
(ख) तहसील—सोहागपुर		144	0.040
(ग) नगर/ग्राम—पैलवाह		172/2	0.405
(घ) लगभग क्षेत्रफल—32.995 हेक्टर.		142	0.535
खसरा	क्षेत्रफल	150/2	0.486
नम्बर	(हेक्टर में)	442	0.644
(1)	(2)	151/3	0.036
95	0.141	155	0.275
96	0.094	471	0.210
97/2	0.142	449	0.129
102	0.255	456	0.081
168	0.626	503	0.016
113	0.872	203	0.040
170	0.127	163/1	0.210
141/3	0.512	172/1	0.129
165/3	0.837	418	0.040
207/1	0.020	421/2	0.461
151/2	0.036	474	0.405
154	0.279	444	0.210
466	0.097	469	0.336
156	0.777	532	0.158
454	0.275	457/3	0.017
502	0.182	497/1क	0.006
202/2	0.116	103	0.255
420	0.930	97/1	0.040
174	0.069	100	0.065
205	0.413	104/1	0.093
422/1	0.040	104/4	0.111
440	0.297	166	0.405
		141/1	0.119

(1)	(2)	(1)	(2)
145/2	0.020	441/2	0.349
157	1.311	452	0.210
447	0.247	453/1	0.125
151/4	0.036	457/1	0.035
455	0.020	477/1क	0.118
475	0.085	501/1क	0.079
450	0.432	504/1क	0.031
463	0.069	477/1ख	0.118
159	0.809	501/1ख	0.079
206	0.326	535/1ख	0.030
163/2	0.220	498/2	0.133
204/1	0.024	533/2	0.128
419	0.218	497/3	0.012
422/2	0.041	528/3	0.107
441/1	0.349	536	0.151
448	0.134	496	0.364
479	0.169	531	0.113
453/2	0.126	530/1	0.182
472	0.607	528/1क	0.035
498/1क	0.068	478/1ख	0.012
142	0.862	504/1ख	0.035
165/1	0.270	477/2	0.236
101	0.053	501/2	0.158
104/3	0.093	535/2	0.090
105	0.180	498/3	0.133
169	0.486	533/3	0.128
142/2	0.119	495	0.345
164/3	0.009	507	0.154
202/1	0.115	511/1	0.864
151/1	0.036	530/2	0.186
151/5	0.015	533/1क	0.064
464	0.158	497/1ख	0.006
527	0.210	528/1ख	0.036
451	0.032	478/2	0.021
468	0.061	504/2	0.062
161	0.324	477/3	0.236
208	0.285	501/3	0.158
171	0.993	535/3	0.091
204/2	0.045	499	0.053
421/1	0.457	508	0.093
439	0.081	511/2	0.704

(1)	(2)	(1)	(2)
535/1क	0.030	226	0.030
498/1ख	0.067	256	0.040
533/1ख	0.064	311/2	0.079
497/2	0.012	336/3	0.020
528/2	0.107	346	0.069
478/3	0.021	461/6	0.020
504/3	0.062	494	0.030
494	0.101	506	0.040
500	0.125	498/1ज	0.030
509	0.870	502/1च	0.120
511/3	0.935	505/2	0.040
योग . .	<u>32.995</u>	519	0.041
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पैलवाह जलाशय के निर्माण से प्रभावित ग्राम पैलवाह निजी भूमि 32.995 हे. का अर्जन.		522/1ग	0.415
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.		227/1क1	0.030
		497/2	0.025
		261	0.049
		501	0.069
		341/1	0.035
		504	0.069
		492/1	0.030
क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 559-प्र.क्र.2-अ-82-2011-12-5068.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		495	0.089
		509/2क	0.109
		498/2ग1	0.159
		505/1ख	0.089
		510/2क	0.080
		521	0.081
		522/1ख	0.119
		233	0.049
		227/1क3	0.030
(1) भूमि का वर्णन—		462	0.120
(क) जिला—शहडोल		312	0.008
(ख) तहसील—सोहागपुर		341/2	0.034
(ग) नगर/ग्राम—सकरिया		348/2	0.024
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.869 हेक्टर.		492/2	0.030
खसरा	क्षेत्रफल	496	0.030
नम्बर	(हेक्टर में)	498/2ख1	0.120
(1)	(2)	498/2ग2	0.049
518	0.020	505/1ग	0.030
524	1.901	510/3क	0.030
225	0.020	523	2.784

(1)	(2)	सर्वे नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
505/1क	0.099		
348/1	0.025		
497/1	0.024	401	0.03
258/2	0.069	393	0.23
333	0.060	391	0.27
344/2	0.030	432	0.05
461/1	0.020	456	0.10
493/2	0.008	427	0.05
498/1क/1	0.069	402	0.26
510/1क	0.040	403	0.04
499/1	0.040	392	0.03
505/1घ	0.099	390	0.06
योग . .	<u>7.869</u>	389	0.05
		434	0.10
		433	0.09
		योग . .	<u>1.36</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पैलवाह जलाशय निर्माण से प्रभावित ग्राम सकरिया की निजी भूमि 7.869 हे. का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 3-2011-12-अ-82-क्र. क्यू-भू-अर्जन-2012-2088 से 2093.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

- (क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—कोलारस
(ग) नगर/ग्राम—कूड़ा पाडौन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.36 हेक्टर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोलारस जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

क्र. 14993-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—सुलीबर्डी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.000 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)	(1)	(2)
		137/9	0.032
		137/10	0.037
314/3/1	0.520	137/14	0.037
314/3/2	0.480	137/15	0.037
योग . .	1.000	137/16	0.030
		139/2ख/2	0.172
		योग . .	1.127

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—किसान तालाब योजना की नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 14992-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—उमरबन खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.127 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
94/3	0.073
94/4	0.030
94/6	0.062
103/5	0.090
104	0.084
105	0.084
118/10	0.083
118/11	0.015
133/3	0.030
133/4	0.015
133/5	0.045
133/6	0.015
134/1	0.060
134/2	0.096

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“ढेकली (मोहाड़पुरा) तालाब के बांध निर्माण से प्रभावित होने से.”

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 15001-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—डोंगला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.501 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
22/1/1	0.086
22/1/2	0.045
22/3	0.072
23/1/1	0.052
23/1/2	0.028
23/1/3	0.102
23/1/4	0.096
23/2	0.020
योग . .	0.501

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“डोंगल्यापानी तालाब योजना की नहर निर्माण से प्रभावित होने से.”

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	(1)	(2)
	27/2	0.097
	37/3	0.022
	120	0.073
	121/2	0.140
क्र. 14994-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	141/1	0.056
	141/3	0.015
	142/4	0.035
	143/1	0.035
	152/1	0.058
	152/2	0.055
	152/3	0.085
	153/3	0.037
	153/6	0.051
(1) भूमि का वर्णन—	153/4क	0.132
(क) जिला—धार	153/7क/2	0.030
(ख) तहसील—मनावर	153/4ख	0.034
(ग) ग्राम—उमरबन कला	190/1	1.857
(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.789 हेक्टर.	190/2	1.679
	191	0.729
खसरा	231/2/1	0.375
क्रमांक	231/2/2	0.335
(1)	231/2/3	0.145
	231/2/4	0.150
175/2	231/2/5	0.145
180/1/1	231/2/6	0.170
180/1/2	231/2/7	0.480
180/4	231/2/8	0.345
180/5	231/2/9	0.195
180/6	231/2/10	0.175
180/7	231/2/11	0.185
180/8	231/2/12	0.165
180/9	231/2/13	0.170
181/1/2	231/3	0.500
181/1/3	231/4	0.500
181/1/4	12/2क	0.045
181/1/5	21/1/1	0.042
181/1/6	21/1/2	0.039
181/1/7	153/5/5	0.013
182/6	153/5/6	0.013
188	153/8/2/1	0.025
189/1	153/8/2/2	0.029
189/2	153/11	0.026
189/3	156/1	0.013
21/2/1ङ	156/2	0.015
22/1,22/2क	156/5	0.081
22/1,22/2ख	157/1, 157/2	0.141
26/1	186/2	0.022
26/2	186/4	0.020
27/1		

(1)	(2)	(1)	(2)
186/3	0.080	24/1/2	0.490
187/1	0.028	24/4	0.423
187/2	0.028	24/5	0.182
195	0.086	24/6	0.187
188	0.067	24/7	0.293
209/1	0.186	24/8	0.056
209/2	0.129	76/83/5	0.460
153/7ख	0.017	76/83/6	0.390
153/4ग	0.038	76/83/7	0.256
योग . .	<u>17.789</u>	76/83/8	0.360
		योग . .	<u>7.280</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ढेकली (मोहाड़पुरा) तालाब के बांध निर्माण से प्रभावित होने से.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 14995-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—खोड़ी मोली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.280 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
11	0.216
18	0.660
19	0.397
24/1/1क/1	0.280
24/1/1ख	0.177
24/1/1ग	0.850
24/1/3	0.350
24/2क	0.260
24/2ख	0.260
24/2ग	0.230
24/2घ	0.250
24/3	0.253

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ढेकली (मोहाड़पुरा) तालाब के बांध निर्माण से प्रभावित होने से.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 15002-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—कुवाड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.090 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
917/8	0.090

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—किसान तालाब योजना की नहर निर्माण से प्रभावित होने से.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.